INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary Peer Reviewed

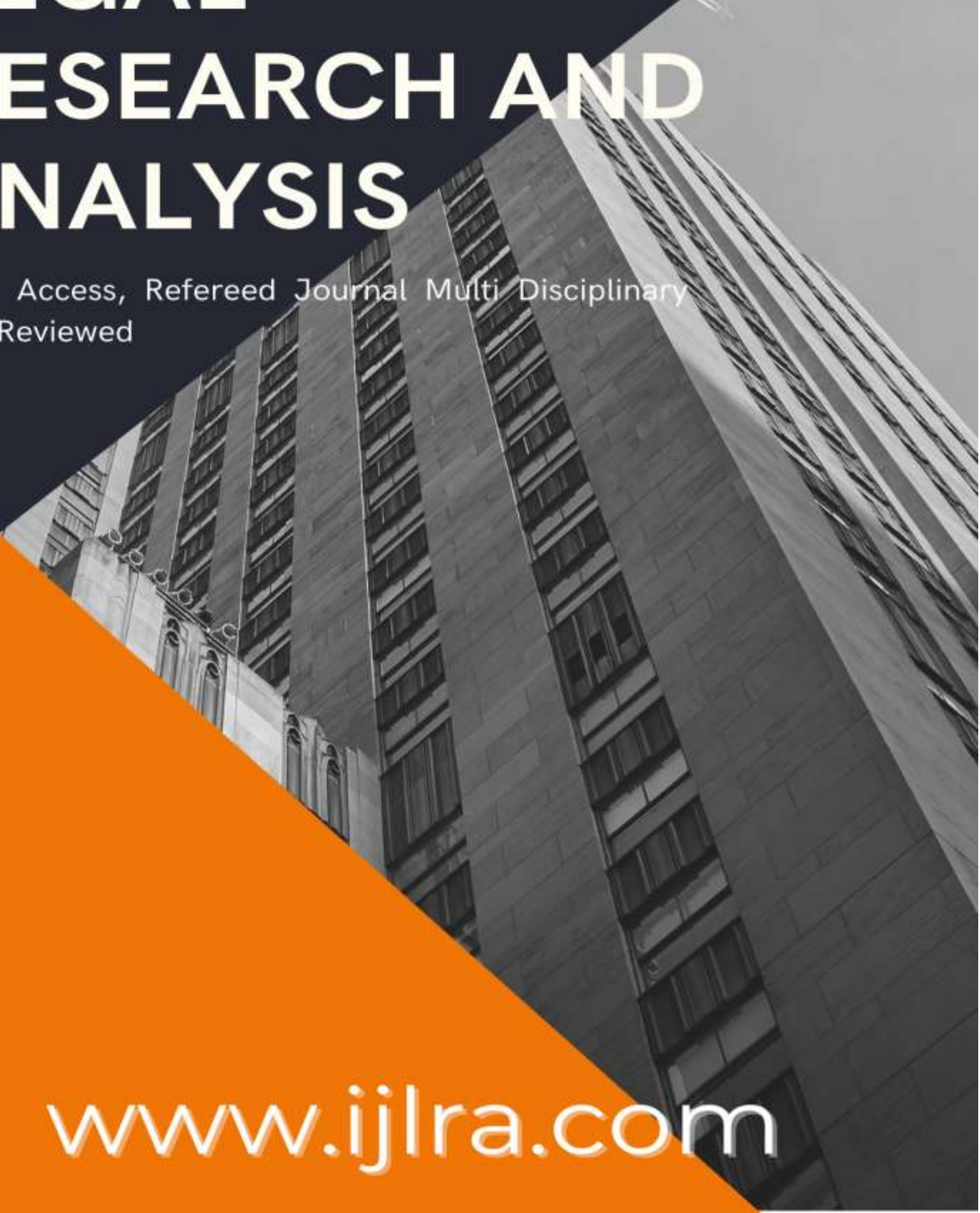

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in theJournal.

IJLRA

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur.Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC -NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India.India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time &Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

 ISSN: 2582-6433

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi.Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship.He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi.Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi.He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN
2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

ISSN: 2582-6433

सेज विश्वविद्यालय इंदौर

विध एवं विध अध्ययन संस्थान

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा

सत्र 2024–2025

निर्देशका
डॉ. स्वाती श्रीवास्तव

प्रस्तुतकर्ता
प्रिया कुशवाह
एल. एल. एम.
द्वितीय सेमेस्टर
इनरोलमेंट नं. : 24LAWALLM0033

ISSN: 2582-6433

रूपरेखा

- 1 परिचय
- 2 घरेलू हिंसा का अर्थ
- 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा
- 4 घरेलू हिंसा के कारण
- 5 घरेलू हिंसा के प्रकार
- 6 शोध के उद्देश्य
- 7 उपसंहार

IJLRA

www.ijlra.com
Volume 2 Issue 8 | July 2025
ISSN: 2582-6433

परिचय

ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी और नारी का स्वभाव है प्रत्येक रिश्तों को निभाना, वह इन रिश्तों के साथ ही जीना, नारी के इस स्वभाव में स्नेह, प्रेम, करूणा, दया, सहिष्णुता, धैर्य, और वात्सल्य जैस गुण विघमान होते है नारी में वह शक्ति है जो प्राचीन काल से ही इन सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। नारी इस संसार में गुणों के साथ दृढ़ निष्चयी एवं साहसी भी है।

नारी व पुरूषों की समस्यायें, इच्छाऐं, चिन्तन व गुण वही होते हैं अर्थात् समान होते हैं पर फिर भी वह पुरूषों के द्वारा शोषण का शिकार हो रही है। आज भी नारी सभी क्षेत्र में अन्याय व अत्याचारे सहन कर रही है।

नारी की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही हैं। आदिम समाजों से लेकर वर्तमान समाज में भी स्त्री–पुरूष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री शोषण को देखा जा सकता है। स्त्री द्वारा अधीनता की मौन स्वीकृति ने भी महिला के विरूद्ध हिंसा को एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा का इतिहास काफी पुराना है वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति सही थी पर उसके बाद के काल में उत्तर वैदिक काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं के शोषण को देखा जा सकता है और मध्य काल तक आते–आते महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि प्रथाओं ने महिलाओं के शोषण को बढावा दिया है। वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया हैं। आज के समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड़ अटैक इत्यादि हो रहे है।

भारत जैसे देशों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है व इनके अधिकारों का हनन हो रहा हैं। संविधान द्वारा प्रदान अधिकार भी महिलाओं को हिंसा व अत्याचार से नहीं बचा पा रही है।

अधिकांश महिलाऐं का आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर होता है और इसी कारण महिलाओं को अत्याचार व अपराधों का सामना करना पडता है। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्राचीन काल से ही हो रहा है। जिसमें उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन आदि शामिल है यदपि आधुनिक काल में भारतीय महिलाऐं उन्नति कर रही है पर फिर भी उनेक साथ हिंसा का व्यवहार हो रहा है। अधिकांश घरों में उपहास, सताना, मारपीट इत्यादि की जाती है। भारत में महिलाओं का कितना विकास हुआ है। यह ग्रामिण महिलाओं की स्थिति से

ISSN: 2582-6433

पता चलता है आज भी गांवो में महिला को अपहरण बलात्कार हत्या भेदभाव का सामना करना पडता है। भारतीय संस्कृति भी महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के लिए जिम्मेदार है।

इडियन मेडिकल एसोसियन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता हैं। भ्रूण परीक्षण सम्बन्धी पी. एन. डी. टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया परन्तु यह सम्पूर्ण भारत में सुचारू रूप से नहीं चल ना रहा हैं। महाराष्ट्र की एक स्वयं सेवी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर भ्रूण परीक्षण के बाद 8 हजार गर्भपात करवाये गये जिनमें से 7399 कन्याऐं थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महिने 967 महिलायें बलात्कार का शिकार होती हैं। जिसमें से 50 प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र की लडकियाँ होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में महिलाऐं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ प्रत्येक दिन सात महिलायें बलात्कार की शिकार होती हैं जो सम्पूर्ण देश का 22 प्रतिशत हैं। उसके बाद उत्तरप्रदेश में प्रत्येक महीने में 146 महिलाऐं बलात्कार का शिकार होती हैं। राजस्थान, आन्धप्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में लगभग क्रमशः 74, 69, 68 व 62 बलात्कार के मामले दर्ज किये जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार व स्वास्थ संगठन 2005 की रिपोर्ट के अनुसार समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड़ अटैक इत्यादि हो रहे हैं। महिलाऐं अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में अपराध दर 46 मिनट में 1,00,000 बलात्कार 2 मिनट पर 10,000 दहेज उत्पीडन 0.7 पर 1,00,000 घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

थॉम्सन रॉयटर्स फाउडेशन के सर्वेक्षण के आधार पर भारत में महिलाओं की स्थिति को बुरा बताया गया हैं व भारत के सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा गया हैं कि भारत में महिलाओं का दर्जा धन और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती हैं व इस देश में कम उम्र में विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा व कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों को हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं भारत में सात वर्ष पहले बना घरेलू हिंसा कानून अधिनियम 2005 एक पहल हैं हिंसा के खिलाफएक गातिशील कदम हैं। परन्तु लिंग के आधार पर भारत में हिंसा अभी भी होती हैं और इस प्रकार की महिलाऐं अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

भारत की राजधानी दिल्ली व इसके आस–पास के इलाकों में बलात्कार व देह व्यापार व महिलाओं की तस्करी अधिक होती हैं। इस सर्वेक्षण ने सरकारी अध्ययन का उल्लेख

ISSN: 2582-6433

करते हुए स्पष्ट किया हैं कि भारत में 51 प्रतिशत पुरूषों व 54 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नियों की पिटाई को उचित ठहराया हैं।

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप में परिवर्तन आया हैं। पिछले कुछ वर्षो में देश में महिलाओं पर एसिड़ अटैक की घटनाओं में वृद्वि हुई हैं इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड़ जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग कर धटनाऐं भी सामने आ रही हैं।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों के आधार पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान हैं। इस आधुनिक काल में भी राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर में सेव द चिल्ड्रन व राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महिला संस्था रूवा के द्वारा आयोजित कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया की महिला हिंसा के मामले में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर हैं जबकि अलवर दूसरे स्थान पर हैं व जैसलमेर, बीकानेर एवं सिरोही जिलों को सुरक्षित माना हैं।

घरेलू हिंसा की शिकायत करने में राजस्थान की महिला सबसे आगे हैं। पत्नि को पीटन, शराब पीने, की सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्थानी महिलाओं के द्वारा की जाती हैं। राजस्थान में महिला हिंसा के आकड़ों की जानकारी देते हुए सेव द चिल्ड्रन के रमाकान्त सतपति ने बताया हैं की भारत में होने वाली कुल हिंसा के 8 प्रतिशत मामले राजस्थान के होते हैं व बालिका हिंसा के 4.1 प्रतिशत मामले होते हैं। राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई जन प्रतिनिधियों के पास घरेलू हिंसा के जुड़ी शिकायते आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इंटरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमन की ओर से किये गये देश के ऑडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती हैं की राजस्थान में 12.1 प्रतिशत घरेलू हिंसा के मामलों में महिला जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती हैं।

वर्तमान समय में भी राजस्थान में बाल–विवाह, वेश्यावृत्ति, वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना आदि अपराध हो रहे हैं सरकारी प्रयास के बावजूद भी समाज में से इन अपराध को समाप्त नहीं का पा रही हैं। दहेज, हत्या, बलात्कार व घरेलू हिंसा से बचाव के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो निम्न प्रकार हैं :–

1. हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1850
2. बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 संशोधित 1978
3. दहेज निरोधक अधिनियम 1961
4. महिला व कन्या का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956
5. सती प्रथा अधिनयम 1829

6. मातृत्व सुविधा अधिनियम 1890
7. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
8. हिन्दु विवाह व विवाह विच्छेद अधिनियम 1955
9. कन्या शिशु हत्या 1870
10. हिन्दु उत्तराधिकारी 1956
11. डायन प्रथा अधिनियम 2001

घरेलू हिंसा का अर्थ :–

परिवार का कोई भी पुरूष सदस्य अगर महिला को मारता है। उसके साथ अभद्र भाषा में बात करता है या उसे किसी भी चीज के लिए विवश करता है तो वह महिला घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी घरेलू हिंसा के मामलों दिनों–दिन बढ़ते जा रहे है।

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा "ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है।" महिला हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये है परन्तु महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" में कमी नहीं आयी है। महिला विरूद्ध हिंसा हमारे देश में होने वाली रोजमर्रा होने वाली समस्या है। हर रोज महिला को मारना–पीटना, बेइज्जत करना, धमकाना तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित महिलाऐं प्रायः सामाजिक–सांस्कृतिक दबावों के कारण आवाज नहीं उठा पाती। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मुख्य धुरी परिवार है। क्याकि यह महिलाओ पर दबाव डालने का काम करती है।

IJLRA

ISSN: 2582-6433

घरेलू हिंसा की परिभाषा :–

1. **पुलिस के अनुसार –** महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में रखा गया है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहैज प्रताडना तथा अकारण मार–पीट प्रमुख है।
2. **राज्य महिला आयोग के अनुसार –** कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड्ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी।

परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की धमकी देना व उत्पीडन घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है इसके अतिरिक्त लैगिंक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं।

घरेलू हिंसा के कारण :–

भारत में पितृसत्तात्मक को अधिक महत्व देने के कारण व लड़कियों को कमजोर व लड़कों को साहसी माना जाता हैं जिसके कारण लड़कीयों आत्मविश्वास विकसित नही हो पाता हैं घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं।

1. महिला के चरित्र पर संदेह करना
2. शराब की लत
3. इलैक्ट्रोनिक मीडिया का दुष्प्रभाव
4. महिला का स्वावलम्बी बनने से रोकना
5. समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव

घरेलू हिंसा के प्रकार :–

1. **शारीरिक हिंसा :–**

   इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ देना या अन्य रीति से शारीरिक हिंसा करना।

2. **लैगिक हिंसा :–**

   जैसे बलात् लैगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैगिक मैथुन आदि

3. **मौखिक हिंसा :–**

   अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, पुरूष सन्तान न होना, नौकरी छोडने के लिए विवश करना।

ISSN: 2582-6433

4. आर्थिक हिंसा :–

महिला तथा अपने बच्चें को अपनी देखभाल के लिए धन न देना, महिलाओं को अपना रोजगार न करने देना, वेतन आदि ले लेना।

घेरलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :–

महिलाओं के प्रति हिंसा भारतीय समाज के लिए नई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज की महिलाऐं प्रारम्भ से अवमानना, यातना और शोषण को सहन कर रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। घेरलू हिंसा से भारतीय समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया हैं।

घेरलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मूल उद्धेश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे मे अनेक प्रकार की हिंसा व दुर्व्यवहार शामिल किये गये है। भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कुल 13 धाराऐं है।

शोध के उदृेश्य :–

1. भारत में महिलायों की स्थिति का वैदिक काल से आधुनिक काल का अध्ययन करना।
2. घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का अध्ययन करना व विशेषाधिकारी का अध्ययन करना।
3. घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय सुझाव देना।
4. राजस्थान में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के सन्दर्भ में अध्ययन करना।महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान के सुझाव देना।

शोध के सप्तम व अन्तिम अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया हैं। हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा हैं। यदि कोई समस्या हैं तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया हैं। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा हैं व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया हैं का अध्ययन किया जायेगा।

शोध परिकल्पना :—

1. महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने व अपने संविधानिक रूप से अधिकारों से परिचित करवाना।
2. भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे वह अधिक—से—अधिक भागीदारी कर सके।
3. महिलाओं के द्वारा आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाये जिससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो सके व आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह हिंसा का विरोध कर सके।

उपसंहार :—

हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा हैं। यदि कोई समस्या हैं तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया हैं। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा हैं व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया हैं का अध्ययन किया जायेगा व इस आधार पर यह देखने का प्रयास किया जायेगा कि सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए जो प्रयास किये जा रहे है वह कितने सार्थक हो रहे है।